राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर।

ई–टेण्डरिंग सूचना संख्या 03/2018–19

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एव द्रुतगामी वाहनों जिनमें निगम द्वारा अनुबंधित वाहनें भी शामिल है, के चालक/परिचालक साइड पैनल पर विज्ञापन हेतु । ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाइन निविदाएं आमंत्रित की जानी है । निविदा से संबंधित सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.rsrtc.rajasthan.gov.in &** **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखें।

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)
रा.रा0प.प.नि.मुख्यालय,जयपुर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

निगम की लगभग 4000 लगभग ब्लू लाइन साधारण एव द्रुतगामी वाहनों जिनमें निगम द्वारा अनुबंधित वाहनें भी शामिल है, के चालक/परिचालक साइड पैनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई–निविदाः–

ई–तकनीकी निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ150–ा /मुख्या/विके/18/ दिनांक

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपये 400/–
(अक्षरे रूपये चार सौ मात्र)
डी.डी. सं0.....दिनांक.....

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पताः– ————————————————————
————————————————————
————————————————————

2. टेलीफोन नम्बर/मो0ः– ————————————————————
कार्यालयः– ————————————————————
निवासः– ————————————————————
3. टेलेक्स नं0ः– ————————————————————

4. धरोहर राशिः– रूपये————————————अक्षरे————————

5. ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या व दिनांक ————————————————————

6. फर्म/कम्पनी का नाम एवं पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.————————————————————

7. बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस. संख्या————————————————————
————————————————————

8. निविदा दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करें।

9. निविदा प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की संख्या एवं विवरण।

पूरा नामः–
हैसियतः– मालिक/पार्टनर
पूर्ण पताः–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

निगम की लगभग 4000 लगभग ब्लू लाइन साधारण एव द्रुतगामी वाहनों जिनमें निगम द्वारा अनुबंधित वाहनें भी शामिल है, के चालक/परिचालक साइड पैनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई–निविदाः–

ई–वित्तीय निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ150–ा/मुख्या/विके/18/ दिनांक

निविदा प्रपत्र की राषि जमा रूपये 400/–
(अक्षरे रूपये चार सौ मात्र)
डी.डी. सं0.....दिनांक.....

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ————————————————————
————————————————————
————————————————————

2. टेलीफोन नम्बर/मो0:– ————————————————————
कार्यालयः– ————————————————————
निवासः– ————————————————————
3. टेलेक्स नं0:– ————————————————————

4. धरोहर राशिः– रूपये————————————अक्षरे————————

5. ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या व दिनांक ————————————————————
6. देय लाइसेंस राशि रूपये प्रतिमाह ————————————————————
अक्षरे————————————————————

7. फर्म/कम्पनी का नाम एवं पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.————————————————

8. बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस. संख्या————————————————
————————————————————

9. निविदा दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करें।

पूरा नामः–
हैसियतः– मालिक/पार्टनर
पूर्ण पताः–

<u>घोषणा–पत्र</u>

<u>निविदा दाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डीजीटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।</u>

1. मैं/हम डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर————————————दिनांक—————————————राषि रूपये————————————————————अक्षरे——————————————————————————जो कि वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है संलग्न कर रहे है/कर दिया है।

2. मैं/हमने निगम की समस्त षर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी षर्तों की पालना का वचन देता हूॅं/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगा/देंगे।

3. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूॅं कि मैनें/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये है।

4. मैं/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव चार माह की अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर–निविदादाता

मय पद/हैसियत व मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों के चालक/परिचालक साइड पैनल (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) **पर विज्ञापन हेतु ई–निविदा**

क्रमांकः–एफ 150–I/मु0/प्रशा/वि.के./2018/ दिनांकः–

ई–निविदा सूचना संख्या 03/2018–19

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों के चालक/परिचालक साइड पैनल (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) पर विज्ञापन हेतु ई–निविदा के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण बेवसाइट www.rsrtc.rajasthan.govt.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखें ।

इस निविदा से संबधी विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	निविदा संबंधी विवरण	दिनांक एंव समय
1	निविदा सूचना जारी होने की तिथि	25.08.2018
2	निविदा प्रपत्र शुल्क (Financial Advisor RSRTC को देय) payable at Jaipur	400/–
3	धरोहर राशि (Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur)	21,60,000/–
4	निविदा प्रोसेसिगं शुल्क MD RISL Jaipur को देय	1,000/–
5	निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड करने की अवधि	27.08.18 से 10.09.2018 प्रातः 11:00 बजे तक
6	निविदा प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक (तकनीकी निविदा)	10.9.2018सांय 15:30 बजे
7	निविदा प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक (वित्तीय निविदा)	14.9.2018 सांय 15.30 बजे

नोटः–

1. निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी एंव इस कार्य हेतु न्यूनतम आरक्षित दर 750/– + जीएसटी अतिरिक्त प्रतिबस प्रतिमाह होगी।
2. निविदा खोलने की तिथी को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय निविदाएं खोली जाएगी।

3. निविदा दाता निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों के चालक/परिचालक साइड पैनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई–निविदा के माध्यम से निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।
4. निविदा प्रपत्र में डाउनलोड/आवेदन करते समय निविदा शुल्क 400/– रूपये एंव धरोहर राशि 21,60,000/– रूपये की डी डी संख्या दिनांक एंव बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित कर संलग्न करनी होगी।
5. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क/प्रोसेसिगं शुल्क/धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 10.09.18 को सांय 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
6. कोई भी निविदा इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदा दाताओं को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
8. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एंव धरोहर राशि Financial Advisor RSRTC Payable at Jaipur को डी डी द्वारा जमा करानी होगी। निविदा प्रोसेसिगं शुल्क MD RISL Jaipur के नाम डी डी देय होगी। यदि निविदादाता द्वारा दिनांक 10.09.2018 को 15.00बजे तक उक्त डी डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
9. निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाऐगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
10. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
11. ऑनलाइन निविदाएं निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेगी।
12. निविदा के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावें।

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

परिवहन मार्ग

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों के चालक/परिचालक साइड पैनल (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) पर विज्ञापन प्रदर्शन की निविदा हेतु शर्तेः–

1 निगम बसों पर निम्नानुसार विज्ञापन प्रदर्शन हेतु अधिकतम् स्थान उपलब्ध होगाः–

क्रम संख्या	विज्ञापन का स्थान	विज्ञापन का साइज
1	बसों की दोनों साइडों पर	14′X 1½′
2	परिचालक साइड	7′ X 2′, 3.6′ X 2′
3	चालक साइड	5.9′X2, 5.3 X 2, 3.6′ X 2′

उक्त उपलब्ध साइजों में से बसों पर लिखे हुए राजस्थान परिवहन निगम के नाम, ग्राफिक्स, पीली/लाल चमकीली पट्टियों एंव तीन खडी पट्टियों पर विज्ञापन निषेध है।

2. लाईसेंस की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी को वाहनों पर लगाये गये समस्त विज्ञापन हटाने होगें तथा पूर्व मूल रंग रोगन व गुणवत्ता का पेंट लाइसेंसी को पन्द्रह दिवस में अपने खर्चे से करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अर्थात लाईसेंस अवधि समाप्ति पर समस्त विज्ञापन नहीं हटाये जाते है व निगम द्वारा अपने स्तर पर समस्त विज्ञापन हटवाकर मूल रंग–रोगन करवाया जाता है तो उसमें हुआ समस्त व्यय लाइसेंसी की धरोहर व सुरक्षा राशि/बैंक गारन्टी से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही अनुबंध अवधि के पश्चात् विज्ञापन नहीं हटाये जाने पर जब तक विज्ञापन नहीं हटाए जाएंगे तब तक निगम द्वारा लाइसेंस फीस की वसूली की जावेगी।

3. निर्धारित साइज से अधिक विज्ञापन प्रदर्शित करने पर निगम द्वारा विज्ञापन हटा दिये जावेगें अथवा 500/– रूपये प्रतिबस प्रतिमाह शास्ति आरोपित की जावेगी ।

4 निविदाता/कम्पनी/संस्था/को कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है तथा प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी। निविदादाता को विज्ञापन के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये। निविदादाता/कम्पनी/संस्था को अपना अनुभव प्रमाण पत्र व तीन वर्ष की आय रिटर्न की प्रतिलिपी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। यदि निविदादाता/कम्पनी/संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते है अथवा

प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

5 निविदा के साथ धरोहर राशि 21,60,000 रूपये (अक्षरे ईक्कीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) की डी डी/बैंकर्स चैक के रूप में Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त निविदाओं पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत निविदाओं की राशि निविदाओं पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लाटौयी जावेगी।

6 निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जावेगें उन्हें इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर–भीतर सुरक्षा राशि के रूप में 3 माह की स्वीकृत /अनुमोदित लाईसेंस फीस के बराबर राशि डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा करानी होगी एंव निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर अनुबन्ध करना होगा। यह राशि धरोहर राशि रूपये 21,60,000/– के अतिरिक्त होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना ब्याज जमा रहेगी, जो अनुबनध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एंव अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि निविदादाता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है एंव निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

7 अनुबन्ध अवधि में लाईसेंस शुल्क के नियमित भुगतान हेतु एंव अनुबन्ध पत्र की शर्तों की पूर्ण पालना हेतु लाईसेंसी को अनुबन्ध के प्रारम्भ में 6 माह की लाईसेंस फीस के बराबर राशि की निगम के नाम शिड्यूल बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी भी प्रस्तुत करनी होगी जो धरोहर एंव सुरक्षा राशि के अतिरिक्त होगी जो कि अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के बाद चार माह आगे तक प्रभावी होगी। यह बैंक गारन्टी/लाईसेंसी को निगम द्वारा उसके प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करनी होगी तथा अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा। सुरक्षा राशि एंव बैंक गारन्टी निगम में प्रस्तुत करने एंव अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के पश्चात् ही निविदादाता को निगम की बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लाइसेंसी को नियुक्ति का कार्यादेश जारी किया जावेगा अन्यथा नहीं।

8 कार्यादेश में दर्शायी गई कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से सूचित की गई बसों की संख्या के आधार पर प्रति वाहन प्रति माह की निर्धारित दर के अनुसार आंकी गई कुल राशि निर्धारित माह की लाइसेंस फीस कहलायेगी, जिसका भुगतान निश्चित अवधि में लाईसेंसी द्वारा निगम को किया जावेगा। किसी माह में इन बसों की संख्या 5 या इससे अधिक प्रतिशत में कमी या बढोतरी होने की स्थिति में ही लाईसेंस फीस का पुनर्निधारण किया जाएगा तब तक उक्तानुसार सूचित की गई बसों की संख्या के आधार पर ही प्रतिमाह लाईसेंस फीस देय होगी। किसी राज्य सरकार/संस्थान एवं

स्थानीय निकाय द्वारा विज्ञापन हटवाने पर लाइसेंस फीस में किसी प्रकार की रियायत नही दी जावेगी।

9 लाईसेंसी निगम द्वारा उपरोक्त निर्धारित वाहनों की संख्या घटने या बढने के लिए किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेगा।

10 निगम की वाहनों पर विज्ञापन प्रारम्भ करने के एवज में लाईसेंसी को निगम में अनुबन्ध अवधि में उक्त सूचित की गई वाहनों की संख्या पर निर्धारित दर के अनुसार लाईसेंस फीस जमा करानी होगी। लाईसेंस फीस की दर एक बार लागू होने की तिथी से एक वर्ष तक वहीं रहेगी तत्पचात् प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए इस दर में 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि बढोतरी की जावेगी। इन वृद्धि दरों के अनुसार ही लाईसेंसी निर्धारित समस्त वाहनों के लिए लाईसेंस शुल्क जमा करायेगा। यह राशि निगम के कार्यालय मे प्रत्येक माह की सात तारीख तक अग्रिम रूप से जमा करानी होगी। इसके पश्चात् लाईसेंस फीस जमा नहीं होने पर जमा होने तिथी तक 1000/– रूपये प्रतिदिन शास्ति राशि अतिरिक्त जमा करानी होगी। लाईसेंस फीस अग्रिम जरिये बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर टी जी एस द्वारा निगम कोष में जमा करानी होगी। निगम का आर टी जी एस नम्बर निम्नानुसार हैः–

Beneficiary	R.S.R.T.C
Account No	677405000011
Beneficiary bank	ICICI Bank Ltd
Beneficiary branch	Parivahan Marg, Jaipur-302001
Beneficiary RTGS Code	ICIC 0006774
Amount to be remitted	

11 लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस फीस निर्धारित तिथी के 15 दिवस तक जमा नहीं कराये जाने पर निगम बिना किसी नोटिस के लाईसेंसी के समस्त विज्ञापन हटा सकेगा तथा विज्ञापन सामग्री आदि जब्त कर सकेगा तथा लाईसेंस रद्द कर सकेगा एंव बकाया राशि धरोहर राशि/सुरक्षा राशि में से वसूल की जा सकेगी। जब्त सामग्री को वसूली हेतु नीलाम करने के लिये निगम स्वतंत्र होगा।

12 लाईसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि व सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि निगम द्वारा जब्त की गई तिथी से 7 दिवस के भीतर–भीतर पुनः जमा करानी होगी अन्यथा लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

13 लाईसेंसी इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे विज्ञापन संस्थान को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण करेगा।

14 स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापनों पर प्रदाय किये जाने वाले **समस्त प्रकार के कर/प्रभार/माल एवं सेवाकर आदि जमा कराने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।** करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा

किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क/शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दयित्व लाईसेंसी का होगा। यह राशि लाईसेंसी द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में लाईसेंसी की जमा सुरक्षा राशि/धरोहर राशि मे से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण लाईसेंसी द्वारा 15 दिवस के भीतर–भीतर करना होगा ।

15 यदि राज्य/केन्द्र सरकार या निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो वह उक्त वाहनों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान के अतिरिक्त स्थान पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेगें जिसके लिए लाईसेंसी को किसी प्रकार की छूट लाईसेंस शुल्क में से नहीं दी जावेगी।

16 राज्य सरकार /केन्द्र सरकार या निगम को अनुबन्ध अवधि में अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो निगम, सूचना का प्रदर्शन की अवधि में डीएवीपी की दरों से कम दरों पर बसों को उपलब्ध नहीं करवायेगा। जितनी अवधि के लिए /जितनी बसों पर विज्ञापन/सूचना प्रदर्शित की जाती है तो लाइसेंसी की अनुबन्ध की अवधि में आनुपातिक दिवसों की वृद्धि कर मूल अनुबन्ध अवधि में वृद्धि की जाकर पूर्ति की जावेगीं। इसमें मूल अवधि तक दरें शर्त संख्या 10 के अनुसार रहेगी तथा मूल अवधि अर्थात तीन वर्ष पश्चात् दरें शर्त संख्या 18 के अनुसार रहेगीं ऐसी परिस्थितियों में इस कार्यवाही हेतु निगम द्वारा ऐसे विज्ञापन हटवाये जाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिया जावेगा।

17 लाईसेंसी के विज्ञापन पैनल किसी भी कारण से (चोरी हो जाने/गिर जाने/जलने/हड़ताल/युद्ध दंगों) होने वाली क्षति का दायित्व लाईसेंसी का होगा तथा इस हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।

18 अनुबन्ध की कुल अवधि तीन वर्ष की होगी। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक प्रकरण एंव लाईसेंस शुल्क बकाया नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अंतिम वर्ष के देय लाईसेंस शुल्क में न्यूनतम् 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 18 माह तक अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकता है जिसका निर्णय लेने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।

19 लाईसेंसी को बसों पर विनायल शीट पर निर्मित विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होगें।

20 लाईसेंसी किसी भी प्रकार का अश्लील/केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थान एंव निगम द्वारा प्रतिबंधित किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। इसके उल्लंघन पर होने वाली हानि के लिए लाइसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा। लाईसेंसी द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी भी प्रकार के कानूनी एंव अन्य दायित्व की पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी।

21 बसों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान में यदि बसों की डिजाइन या अन्य किसी कारण से कमी/वृद्धि होती है तो इसके लिये दरों में किसी प्रकार का संशोधन निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगा।

22 लाईसेंस अवधि में निगम के पास बिना कारण बताये किसी भी समय लाईसेंसी को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एंव इसकी

कोई क्षतिपूर्ति लाईसेंसी को देय नहीं होगी। यदि लाईसेंसी द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे लाईसेंस प्रारम्भ होने की दिनांक के एक वर्ष पश्चात् 6 माह पूर्व सूचना निगम को देनी होगी। 6 माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में लाइसेंसी की जमा धरोहर एंव सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

23 लाईसेंसी द्वारा विज्ञापन आगार कार्यालय में मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(संचालन) की सहमति से वाहनों पर लगाये जावेगें एंव प्रबन्धक(संचालन) से वाहनों पर लगाये गये विज्ञापन पैनल से संबधित बस नम्बर का प्रमाण पत्र लाइसेंसी अपने स्तर से प्राप्त करेगा एंव निगम मुख्यालय को इसकी सूचना देगा।

24 लाइसेंसी को आवश्यकता पड़ने पर बसों पर विज्ञापन/विनायलशीट लगाने हेतु कार्यशाला में प्रबन्धक(संचालन) द्वारा रोशनी की व्यवस्था करा दी जावेगी।

25 अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन करने पर लाइसेंसी का लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा जिसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

26 यदि कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण संचालन के बाहर रहती है तो लाइसेंसी को लाइसेंस शुल्क में कोई छूट नहीं दी जावेगी तथा लाइसेंसी को सूचित की गई वाहनों की संख्या के अनुसार ही लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

27 निगम द्वारा अनुबन्ध की अवधि में वाहनों पर विज्ञापन करने की सुविधा हेतु लाइसेंसी को 2 अधिकृत व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा पास दिये जावेगें, जो कि द्रुतगामी एंव साधारण बसों के लिए मान्य होगें जिनका उपयोग लाइसेंसी केवल अपने विज्ञापन सम्बन्धी सुविधा के लिए ही करेगा। यदि इसमें किसी प्रकार का दुरूपयोग होना पाया जाता है तो बिना किसी नोटिस के उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया जावेगा, इस हेतु लाइसेंसी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

28 लाइसेंसी इस अनुबन्ध अवधि में जब भी चाहे उन्हे उपलब्ध कराई गई वाहनों पर उक्त साइज के विज्ञापन लगा सकेगा एंव हटा सकेगा। लाइसेंसी वाहनों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा एंव कार्यशाला में वाहन उपलब्धता के समय ही विज्ञापन लगाया जा सकेगा।

29 विज्ञापन बोर्डो को लगाने एव उतारने में निगम की वाहनों को किसी प्रकार की क्षति या टूट–फूट/नुकसान होगा तो लाईसेंसी को निगम द्वारा आंकी गई निर्धारित राशि की तुरन्त(15 दिन के भीतर) भरपाई करनी होगी अन्यथा लाइसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।

30 लाइसेंसी श्रम कानून एंव भविष्य निधी कानून की पूर्ण पालना करेगा। लाइसेंसी द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लघंन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

31 वाहने जिस स्थिति में होगी उस स्थिति में विज्ञापन हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी जो लाइसेंसधारी को स्वीकार होगी।

32 लाइसेंसी को समय–समय पर निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी।

33 युद्ध दंगे/जन विद्रोह/बन्द/हडताल/तालाबन्दी/यंत्रदोष/बाढ/नेशनल सिक्योरिटी आदि कारणों से परिवहन निगम की बसों के संचालन का निलम्बन या निरस्तीकरण हो जाता है तो लाइसेंसी को आकस्मिक घटना के एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी जावेगी।

34 जिस निविदादाता के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्चे पर 15 दिवस के भीतर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप निगम द्वारा दिया जावेगा। जो लगभग इन्ही शर्तों के अनुरूप होगा।

35 निविदा प्रस्ताव ई–निविदा के माध्यम से प्रेषित करने होगें।

36 निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की कांट–छांट न हो प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर। अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखें साथ ही प्रमाण भी पेश करें।

37 निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें।

38 किसी भी निविदा को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।

39 यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्व निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

40 उक्त निविदा प्रक्रिया द्विस्तरीय होगी अर्थात तकनीकी एंवम् वित्तीय निविदा अलग–अलग खोली जावेगी । जो निविदादाता तकनीकी रूप से योग्य पाये जावेगें उन निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी ।

41 अनुबन्ध के कियान्वयन, शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निगम द्वारा गठित स्टैडिगं कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये बिना एंव उस पर निर्णय पारित हुए बिना वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकेगें। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि निगम की स्टैडिंग कमेटी ही उत्पन्न विवाद का निपटारा/निर्णय करेगी एंव इसके लिए दोनों पक्ष सहमति व्यक्त करते हैं। विवाद का क्षेत्राधिकार न्यायालय जयपुर होगा।

42 संलग्न घोषणा पत्र को भरकर (प्रस्ताव) प्रपत्र के साथ संलग्न करें। मैने उक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ लिया है तथा उक्त सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों के चालक/परिचालक साइड पैनल (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं)पर विज्ञापन हेतु

प्रारूप अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक.....2018 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, जयपुर जिसको आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा तथा मै0 ——————————————कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है (जिसमें मालिक/साझेदार/उत्तराधिकारी/प्रशासक आदि भी सम्मिलित है।) जिसको आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा के बीच किया जाता है। अनुबंध कुल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार हैः—

1. यह कि प्रथम पक्ष ने निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों के चालक/परिचालक साइड पैनल पर (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं)विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लाइसेंस प्रणाली के आधार पर द्वितीय पक्ष को लाइसेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। द्वितीय पक्ष यह स्वीकार करता है कि वह प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस निगम कोष में जमा करायेगा चाहे द्वितीय पक्ष इन बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है या नहीं । द्वितीय पक्ष यह भी स्वीकार करता है कि प्रथम पक्ष की बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु अपने स्तर से विज्ञापन प्राप्त करेगा तथा इन बसों पर विनायल शीट द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। द्वितीय पक्ष अपने ग्राहकों से विज्ञापन की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
2. यह कि प्रथम पक्ष की बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निम्नानुसार स्थान उपलब्ध रहेगाः—

क्रम संख्या	विज्ञापन का स्थान	विज्ञापन का साइज
1	बसों की दोनों साइडों पर	14′X 1½′
2	परिचालक साइड	7′ X 2′, 3.6′ X 2′
3	चालक साइड	5.9′X2, 5.3 X 2, 3.6′ X 2′

<u>नोटः— उक्त उपलब्ध साइजों में से बसों पर लिखे हुए राजस्थान परिवहन निगम के नाम, ग्राफिक्स, पीली/लाल चमकीली पट्टियों एंव तीन खडी पट्टियों पर विज्ञापन निषेध है।</u>

3. यह कि निर्धारित साइज से अधिक के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर निगम द्वारा द्वितीय पक्ष के विज्ञापन हटा दिये जावेगें अथवा 500/—रूपये प्रतिबस प्रतिमाह शास्ति आरोपित की जावेगी।
4. लाइसेंस फीस **<u>दिनांक .....</u>** से देय होगी।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कोष में धरोहर राशि रू. ...../—(अक्षरे .....रूपये मात्र) डी.डी. न0 ..... दिनांक ..... एवं तीन माह की स्वीकृत/अनुमोदित लाईसेंस फीस की राशि रूपये ...../— रू. जरिये आर.टी.जी.एस. ..... दिनांक ..... सुरक्षा राशि के रूप में अग्रिम जमा करा दिए है एंव छः माह की लाईसेंस फीस के बराबर राशि रूपये ...../— लाइसेंस शुल्क के नियमित भुगतान एवं अनुबंध पत्र की शर्तों की पूर्ण पालना हेतु सुरक्षा राशि के रूप में बैंक गारन्टी नं0 ---------- दिनांक ..... बैंक का नाम ..... जिसकी वैधता अवधि ..... तक है जमा करा दी गई है। राशि रूपये ...../—(अक्षरे ..... मात्र) की बैंक गारन्टी दिनांक ..... तक निगम कोष में जमा रहेगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज

द्वितीय पक्ष को देय नहीं होगा । इस राशि पर प्रथम पक्ष को हुई हानि/अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं करने की दशा में धरोहर राशि एंव सुरक्षा राशि की बैंक गारन्टी प्रथम पक्ष को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि लाईसेंस अवधि में वृद्धि की जाती है तो बैक गारन्टी की वैधता अवधि तदनुसार ही द्वितीय पक्ष को वृद्धि करवा कर देनी होगी।

6. यह कि कार्यादेश दिये जाने की दिनांक से सूचित की गई बसों की संख्या के आधार पर प्रति वाहन प्रतिमाह की निर्धारित दर के अनुसार आंकी गई कुल राशि निर्धारित माह की लाईसेंस फीस कहलायेगी, जिसका भुगतान निश्चित अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जावेगा। किसी माह में इन बसों की संख्या में 5 या इससे अधिक प्रतिशत में कमी या बढोत्तरी होने की स्थिति में ही लाईसेंस फीस का पुनर्निधारण किया जाएगा तब तक उक्तानुसार सूचित की गई बसों के आधार पर ही प्रतिमाह लाईसेंस फीस देय होगी। किसी राज्य सरकार/संस्थान एवं स्थानीय निकाय द्वारा विज्ञापन हटवाने पर लाइसेंस फीस में किसी प्रकार की रियायत नही दी जावेगी।
7. यह कि द्वितीय पक्ष निगम द्वारा उपरोक्त निर्धारित संचालित वाहनों की संख्या घटने या बढने के लिए किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष की वाहनों पर विज्ञापन प्रारम्भ करने के एवज में द्वितीय पक्ष को निगम कोष में अनुबन्ध अवधि में उपलब्ध कराई गई समस्त वाहनों पर निर्धारित दर के अनुसार लाईसेंस फीस निम्नानुसार जमा करानी होगीः–
   1. ..... से ..... तक ...../–रूपये प्रतिबस प्रतिमाह एंव जी एस टी अतिरिक्त
   2. ..... से ..... तक ...../–रूपये प्रतिबस प्रतिमाह एंव जी एस टी अतिरिक्त
   3. ..... से ..... तक ...../–रूपये प्रतिबस प्रतिमाह एंव जी एस टी अतिरिक्त
9. यह कि उक्त राशि निगम के कार्यालय में प्रत्येक माह 7 तारीख तक अग्रिम जमा करानी होगी। इसके पश्चात् लाईसेंस फीस जमा नहीं होने पर जमा होने की तिथी तक 1000 रूपये प्रतिदिन शास्ति राशि अतिरिक्त जमा करानी होगी। लाईसेंस फीस अग्रिम जरिये बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट /आर टी जी एस द्वारा निगम कोष में जमा कराना होगा। निगम का आर टी जी एस नम्बर निम्नानुसार हैः–

Beneficiary	RSRTC
Account No.	677405000011
Beneficiary Bank	ICICI Bank Ltd.
Beneficiary Branch	Parivahan marg, Jaipur- 302001
Branch RTGS Code	ICIC0006774
Amount to be remitted	

10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा लाईसेंस फीस निर्धारित तिथी के 15 दिवस तक जमा नहीं कराये जाने पर निगम बिना किसी नोटिस के द्वितीय पक्ष के समस्त विज्ञापन हटा सकेगा, विज्ञापन सामग्री आदि जब्त कर सकेगा, लाइसेंस रद्द कर सकेगा एंव बकाया राशि धरोहर राशि/सुरक्षा राशि में से प्रथम पक्ष द्वारा वसूल की जा सकेगी। जब्त सामग्री को वसूली हेतु नीलाम करने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि में से प्रथम पक्ष द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त की गई तिथी से 7 दिवस के भीतर–भीतर पुनः जमा करवानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे विज्ञापन संस्थान को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा ओर न ही सबलेट/हस्तान्तरण करेगा।
13. यह कि स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापनों पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के कर/टैक्स/प्रभार/जी एस टी आदि जमा कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की

होगी। करवंचना के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। यह राशि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की जमा सुरक्षा/धरोहर राशि में से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण द्वितीय पक्ष द्वारा 15 दिवस के भीतर–भीतर करना होगा।

14. यह कि राज्य/केन्द्र सरकार या निगम को अनुबंध अवधि में अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो निगम सूचना के प्रदर्शन की अवधि में डी.ए.वी.पी. की दरों से कम दरों पर बसों को उपलब्ध नहीं करवायेगा। जितनी अवधि के लिए/जितनी बसों पर विज्ञापन/सूचना प्रदर्शित की जाती है तो द्वितीय पक्ष की अनुबन्ध की अवधि में आनुपातिक दिवसों की वृद्धि कर मूल अवधि में वृद्धि की जाकर पूर्ति की जावेगी। इसमें मूल अवधि तक दरें शर्त संख्या 8 के अनुसार रहेगी तथा मूल अवधि अर्थात तीन वर्ष पश्चात् दरें शर्त संख्या 17 के अनुसार रहेगी। ऐसी परिस्थिति में इस कार्यवाही हेतु निगम द्वारा ऐसे विज्ञापन हटवाये जाने हेतु द्वितीय पक्ष को 15 दिवस का नोटिस दिया जावेगा।
15. यदि राज्य/केन्द्र सरकार या निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो वह उक्त वाहनों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान के अतिरिक्त स्थान पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेगें जिसके लिए लाईसेंसी को किसी प्रकार की छूट लाईसेंस शुल्क में से नहीं दी जावेगी।
16. यह कि द्वितीय पक्ष के विज्ञापन किसी कारण से (चोरी हो जाने/गिर जाने/जलने/हडताल/युद्व दंगों) होने वाली क्षति का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही की जावेगी।
17. यह कि अनुबंध की अवधि तीन वर्ष होगी। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक प्रकरण एवं लाईसेंस शुल्क बकाया न होने की स्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अंतिम वर्ष के देय लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम बीस प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अनुबंध की अवधि को 18 माह तक बढाया जा सकता है। जिस पर निर्णय लेने के लिए प्रथम पक्ष सदैव अधिकृत एवं स्वतंत्र रहेगा।
18. यह कि लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर द्वितीय पक्ष को वाहनों पर लगाये गये समस्त विज्ञापन हटाने होंगे तथा पूर्व मूल रंग रोगन व गुणवत्ता का पेन्ट द्वितीय पक्ष को 15 दिवस मे अपने खर्चे से करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अर्थात लाईसेंस अवधि समाप्ति पर समस्त विज्ञापन नहीं हटाये जाते है व प्रथम पक्ष द्वारा अपने स्तर पर समस्त विज्ञापन हटवाकर मूल रंग रोगन करवाया जाता है तो उसमें हुआ समस्त व्यय द्वितीय पक्ष की धरोहर व सुरक्षा राशि/बैंक गारन्टी से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही अनुबंध अवधि के पश्चात् विज्ञापन नहीं हटाये जाने पर जब तक विज्ञापन नहीं हटाए जाएंगे तब तक निगम द्वारा लाइसेंस फीस की वसूली की जावेगी।
19. यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का अश्लील/केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थान एंव प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिबंधित किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। इसके उल्लंघन पर होने वाली हानि के लिए द्वितीय पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी भी प्रकार के कानूनी एंव अन्य दायित्व की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
20. यह कि बसों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान में यदि बसों की डिजाइन या अन्य किसी कारण से कमी/वृद्धि होती है तो इसके लिये दरों में किसी प्रकार का संशोधन प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं होगा।
21. यह कि लाईसेंस अवधि में प्रथम पक्ष के पास बिना कारण बताये किसी भी समय द्वितीय पक्ष को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एंव इसकी कोई क्षतिपूर्ति

द्वितीय पक्ष को देय नहीं होगी। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे लाईसेंस प्रारम्भ होने की दिनांक के एक वर्ष पश्चात् 6 माह पूर्व सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी। 6 माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की जमा धरोहर एंव सुरक्षा राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

22. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा विज्ञापन आगार कार्यालय में मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(संचालन) की सहमति से वाहनों पर लगाये जावेगें एंव प्रबन्धक(संचालन) से वाहनों पर लगाये गये विज्ञापन पैनल से संबंधित बस नम्बर का प्रमाण पत्र द्वितीय पक्ष अपने स्तर से प्राप्त करेगा।
23. यह कि द्वितीय पक्ष को आवश्यकता पड़ने पर बसों पर विज्ञापन/विनायलशीट लगाने हेतु कार्यशाला में प्रबन्धक(संचालन) द्वारा रोशनी की व्यवस्था करा दी जावेगी।
24. यह कि अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष का लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसके लिये नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
25. यह कि कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण संचालन के बाहर रहती है तो द्वितीय पक्ष को लाइसेंस शुल्क में कोई छूट नहीं दी जावेगी तथा द्वितीय पक्ष को सूचित की गई वाहनों की संख्या के अनुसार ही लाईसेंस फीस अदा करनी होगी ।
26. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्ध की अवधि में वाहनों पर विज्ञापन करने की सुविधा हेतु द्वितीय पक्ष को 2 अधिकृत व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा पास (राजस्थान सीमा के लिए) दिये जावेगें, जो कि द्रुतगामी एंव साधारण बसों के लिए मान्य होगें जिनका उपयोग द्वितीय पक्ष केवल अपने विज्ञापन सम्बन्धी सुविधा के लिए ही करेगा। यदि इसमें किसी प्रकार का दुरूपयोग होना पाया जाता है तो बिना किसी नोटिस के उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
27. यह कि द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध अवधि में जब भी चाहे उन्हे उपलब्ध कराई गई वाहनों पर उक्त साइज के विज्ञापन लगा सकेगा एंव हटा सकेगा। द्वितीय पक्ष वाहनों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा एंव कार्यशाला में वाहन उपलब्धता के समय ही विज्ञापन लगा सकेगा।
28. यह कि विज्ञापन लगाने एंव उतारने में प्रथम पक्ष की वाहनों को किसी प्रकार की क्षति या टूट–फूट /नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा आंकी गई निर्धारित राशि को तुरन्त (15 दिन के भीतर) भरपाई करनी होगी अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि में से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।
29. यह कि द्वितीय पक्ष श्रम कानून एंव भविष्य निधि कानून की पूर्ण पालना करेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लघंन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
30. यह कि वाहने जिस स्थिति में होगी उस स्थिति में विज्ञापन हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी जो द्वितीय पक्ष को स्वीकार होगी एवं वाहनों पर निर्धारित स्थान पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर स्वीकृति देने अथवा न देने के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा।
31. यह कि युद्ध/दंगें/जन विद्रोह/बन्द/हड़ताल/तालाबन्दी/यंत्रदोष/बाढ/नेशनल सिक्योरिटी आदि कारणों से प्रथम पक्ष की बसों के संचालन का निलम्बन या निरस्तीकरण हो जाता है तो द्वितीय पक्ष को आकस्मिक घटना के एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी जावेगी।
32. यह कि निविदा प्रपत्र में दी गई शर्ते अनुबंध का भाग होगी। द्वितीय पक्ष उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों एंव मुख्यालय से समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना पूर्ण रूप से करेगा।

33. अनुबंध क्रियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम पक्ष द्वारा गठित स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय पारित हुए बिना वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि प्रथम पक्ष की स्टैंडिंग कमेटी ही उत्पन्न विवाद का निपटारा/निर्णय करेगी एवं इसके लिए दोनों पक्ष सहमति व्यक्त करते है। विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

अतः हम आज दिनांक .....को इस करार/अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करते है।
स्थानः—जयपुर

प्रथम पक्ष

गवाह 1

गवाह 2

द्वितीय पक्ष

गवाह 1

गवाह 2